

भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु.10



R



INDIA NON JUDICIAL

शपथपत्र

सम्झा : श्रीमान् रिटर्निंग ऑफिसर , हरिद्वार ।

भाग -क



मै आनन्द कुमार वर्मा पुत्र श्री भजन लाल आधु 42 वर्ष , निवासी
स=7 शारदानगर ज्वालापुर थाना को० ज्वालापुर जमपद हरिद्वार का
निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ , सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ तथा शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1:- मै आनन्द कुमार वर्मा ॥ हिन्दूतान कान्तिकारी दल ॥ द्वारा छटा किया गया अभ्यर्थी हूँ ।

2:- मेरा नाम हरिद्वार ॥ उत्तराखण्ड ॥ में भाग संख्या 134 के क्रम संख्या-
101 पर प्रविष्ट है ।


3:- मेरा संपर्क टेलीफोन नं०/ मो०नं० 9897116651 है और मेरा ई-मेल
आई डी - डीआरएकेअन्डर स्कारें सट दा रेडिफमेल डॉटकॉम है ।

4:- स्थाई लेख संख्याक ॥ पैन ॥ के द्वारे और जायकर विवरणों फाईल करने की
प्राप्ति



NOTARIAL

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं	डी सी ए पी 2 7422 आर	2013-14	195100-
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित - 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित -2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित - 3.....	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(5) यदि कोई ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखों) जब आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	नाही
-----	---	------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :-
[पूर्वाक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाही
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाही
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नाही

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दण्डादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाही
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाही
(ग)	अधिरोपित दंड	नाही
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नाही

7. मैं मेरे, मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :


टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	तीन लाख पचास हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	रकम हजार रकम सौ रकम हजार रकम पैसे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	आरटी एलएफ आई	माडल 2009	डू. 25008 रकम 5024	मैन लाय 0. तीसरा	8/5/2009
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	आधा किंग -चांदी	12 तोल सोना	-चांदी 22,500/-	सोना 3 लाख 60 हजार	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



स्वावृत्त आस्तियों के ब्यौरे:-


- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा के क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(Handwritten Signature)

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	900 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28/3/14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	दो लाख कि रानी हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	दो लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दशा में)	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	कोई अन्य दायित्व	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१
	दायित्वों का कुल योग	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१	ला०२-१६१

(Handwritten Signature)

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	आयकर शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	धनकर शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	सेवाकर शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	विक्रय कर शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
	कोई अन्य शोध्य	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
(iii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००	ला००००

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं 51552
ख. पति या पत्नी 218011

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:

बी. एस. सी. एम. बी. बी. एस.

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

बी. एस. सी. पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1989


एम. बी. बी. एस. एम. टी. मैदानी कॉलेज जौनपुर (राजस्थान) 1995



भाग-ख

(II) भाग क के (1) से (10) में तक दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० अ/न/कु कुमारका		
2.	डाक का पूरा पता	क. 7 शारदानगर बालापुर		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	05 हरद्वार, उत्तराखण्ड		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	हिन्दुस्तान प्रगतिकारी दल		
5.	(I) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	लागू नहीं		
	(II) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			
6.	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	लागू नहीं		
		लागू नहीं		
		लागू नहीं		
		लागू नहीं		
7.	...का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	डी.सी. 2 पी.के. 5422 अर	2013-14	1,95,100-
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)	लागू नहीं		



(Handwritten signature)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
I.	स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत		दो लाख तिरासी हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व					
(I)	सरकारी शोध्य (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(I)	सरकारी शोध्य (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(II)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण अन्य से ऋण (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरे दें।)		बी. ए. सी. प्रभाकरा	1989	लागू नहीं	लागू नहीं
			एफ. बी. सी. ए. पी. मेडिकल कॉलेज काठमांडू	1995	लागू नहीं	लागू नहीं

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 16/4/14 को सत्यापित किया गया।

ATTESTED

KIRENDRA K. MALIK

ADVOCATE, NOTARY

Reg. No. 41(05)/05

अभिसाक्षी

टिप्पणः

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी है तो यथास्थिति 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट: 5. अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की संख्या 121-रिसरजेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13.9.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में

प्रस्तुत के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असफल रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट: 6 शपथ पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मेरा टेलीफोन नं०..... 9897116651 है/हैं।
मेरा ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो) dr. ak. verma @ rediffmail. Com है।
और मेरा सोशल एकाउन्ट (यदि कोई हो) है।"